न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अनमोल पाल, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण संख्या **– 371 सन 2024**

राज्य **बनाम** अशोक तिवारी व 03 अन्य

मु0अ0सं0– **229** सन **2017**
धारा–399, 401 भा0दं0सं0
थाना–मड़िहान, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अनमोल पाल, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **अशोक तिवारी, उमाशंकर, शारदा** व **रमाशंकर** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 15.06.2017 को समय लगभग 02:25 बजे रात्रि बहदस्थान ग्राम लाहास के बाहर पोखरे के भीटा के पास वकील तिवारी के कमरे के पास आप लोग डकैती करने की तैयारी कर रहे थे। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 399 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोग चोरी के गिरोह/टोली के सदस्य थे। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 401 के अन्तर्गत दंण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 11.09.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1880

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक 11.09.2024

(अनमोल पाल)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1880

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण संख्या **— 371 सन 2024**

राज्य **बनाम** अशोक तिवारी व 03 अन्य

मु0अ0सं0— **229** सन **2017**

धारा—399, 401 भा0दं0सं0

थाना—मड़िहान, जिला—मीरजापुर।

<u>11.09.2024</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण अशोक तिवारी, उमाशंकर, शारदा व रमाशंकर व्यक्तिगत रुप से मय अधिवक्ता उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 399, 401 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्तगण अशोक तिवारी, उमाशंकर, शारदा व रमाशंकर के विरूद्ध धारा 399, 401 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.10.2024 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।